

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क/मंडी/प्रांगण/विविध/46/24/16  
प्रति,

भोपाल, दिनांक ०८/१/१५

संयुक्त संचालक/उप संचालक  
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
आंचलिक कार्यालय .....(समस्त)  
(म०प्र०)

विषय :- कृषि उपज मंडी समितियों के पुराने मंडी प्रांगणों के उपयोग के संबंध में।

विषयांतर्गत लेख है कि कृषि उपज मंडी समितियों के पुराने मंडी प्रांगणों के उपयोग के संबंध में की गयी कार्यवाही की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में संभावित संयुक्त संचालक/उप संचालक की मासिक बैठक एजेण्डे में अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक द्वारा मासिक बैठक में उक्त प्रकरणों की समीक्षा की जावेगी।

संलग्न :- निर्धारित प्रपत्र।

  
अपर संचालक(प्रांगण)  
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

कृषि उपज मंडी समितियों के पुराने प्रांगणों की भूमि के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी भेजने बाबत प्रपत्र।

क	मंडी/ उपमंडी का नाम	पुराने प्रांगण की अधिसूचना का कमांक और दिनांक	पुराने प्रांगण का रकबा (एकड़ में) पटवारी हल्का नंबर/ खसरा नंबर	पुराने प्रांगण की रजिस्ट्री या नामांतरण की स्थिति	पुराने प्रांगण की भूमि शासकीय है अधिग्रहित की है या निजी है की स्थिति	प्रांगण का अधिपत्य कब से है और किसके आदेश से	पुराने प्रांगण के अतिक्रमण की स्थिति				यदि हां तो प्रकरण में वर्तमान स्थिति (स्थगन हो तो भी स्पष्ट करें।	वर्तमान में इस पुराने प्रांगण में मंडी द्वारा संचालित गतिविधि	अभियुक्ति
							यदि अतिक्रमण है तो पक्का है या अस्थायी	अतिक्रमण का प्रकार (रिहायशी /दुकान / वाणिज्यक उपयोग/ गोदाम या अन्य	क्या अतिक्रमण पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत है (हां या नहीं)	पुराने प्रांगण के कुल रकबे में से अतिक्रमण मुक्त रकबा (एकड़ में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

संयुक्त संचालक/उप संचालक  
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
आंचलिक कार्यालय.....